रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 468] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1974/कार्तिक 23, 1896

No. 468] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1974/KARTIKA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th November 1974

S.O. 655(E)/18AA/IDRA/74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints Shri C. T. Das, 27, Baker Road, Alipore, Calcutta, as a member of the Board of Management constituted under the said section to take over the management of the Amritsar Oil Works, Amritsar, and makes the following amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 542(E)/18AA/IDRA/74, dated the 13th September, 1974, namely:—

In paragraph 2 of the said Order under the heading "Members", after item 4, the following item shall be inserted, namely:—

"5. Shri C. T. Das, 27, Baker Road, Alipore, Calcutta-27."

[No. F.4/3/74-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1974

का० आ० 655 (अ)/18 कक/आई डी आर ए/74.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री सी०टी०.दास, 27, बेकर रोड, अली पुर, कलकत्ता को, अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए उक्त धारा के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं का० आ० 542 (ई) 18 कक/आई० डी० आर० ए/74, तारीख 13 सितम्बर, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के पैरा 2 में, "सदस्य" शीर्षक के अधीन, मद 4 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"5. श्री सी० टी० दास, 27, बेकर रोड, अलीपुर, कलकत्ता 27"

[सं० 4/3/74-सी यू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974